तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ... जो इस हुक्म ... तामील में जारी
	<u>रेफरेंस / एलआर / 2391 / 2006 / नागौर</u> **सरकार बनाम कालूराम(फोत) हजारीराम पुत्र पन्नाराम आदि कायम मुकाम**	

एकलपीठ

श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री शोकिन्द लाल गुर्जर उप –राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।

अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 28–7–2020

1. यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 55/2005 में पारित निर्णय दिनांक 25–3–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, मकराना जिला नागौर ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम निमडी के खसरा नम्बर 111रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म गेर मुमकिन वाला दर्ज रिकार्ड है जो पूर्व में व वक्त सेटलमेंट 2006 में प्रतापसिंह जागीरदार के नाम दर्ज है। बन्दोबस्त बाद जागीरी रिज्यूम होने से उक्त आराजी राजकीय भूमि दर्ज हुई। बन्दोबस्त से लेकर सम्वत 2035–2038 तक यह भूमि गैर मुमकिन वाला दर्ज है।तहसीलदार परबतसर के आदेश क्रमांक राजस्व अभियान /83/264 दिनांक 18–1–83 के द्वारा कालू पुत्र बालूराम के पक्ष में नामा0 दर्ज करने के आदेश दिये जिसकी पालना में नामा0 संख्या 238 दिनांक 18–1–03 भरा जाकर स्वीकृत किया गया। खतोनी सम्वत 2039 से 2042 में इसका अमल दरामद हुआ जो आज दिनांक तक कालू पुत्र बालूराम भाम्बी निवासी निमडी के नाम दर्ज है।आवंटन /नियमन की गयी भूमि की किस्म गैरमुमकिन वाला है जो राजकीय भूमि है जो आवंटन/नियमन योग्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है। अतः गैर मुमकिन बाला की आराजी में से जो अप्रार्थी के नाम आवंटन किया गया है, को निरस्त करवाने एवं पुनः राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन वाला दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुन कर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करवाने हेतु तथा पुनः राजकीय भूमि दर्ज कराने के लिए अपने निर्णय दिनांक 25.03.2006 द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

3. इस न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जो बावजूद सूचना के उपस्थित नही हैं , जिनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी। बहस विद्वान उप–अभिभाषक की सुनी गयी ।

4. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नली, नाले, झीले तालाब, नाला, बाला, नाडी अंगोर, पायतन आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है, अतः रेफरेंस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ जो इस हुक्म तामील में जारी
	रेफरेंस / एलआर / 2391 / 2006 / नागौर **सरकार बनाम कालूराम(फोत) हजारीराम पुत्र पन्नाराम आदि कायम मुकाम**	
	को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन वाला अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। 5. मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। 6. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम निमडी के खसरा नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाला दर्ज रिकार्ड है जो पूर्व में व वक्त सेटलमेंट 2006 में प्रतापसिंह जागीरदार के नाम दर्ज है। बन्दोबस्त के बाद जागीरी रिज्यूम होने से उक्त आराजी राजकीय भूमि दर्ज हुई। बन्दोबस्त से लेकर सम्वत 2035–2038 तक यह भूमि गैर मुमकिन बाला दर्ज है। तहसीलदार परबतसर के आदेश क्रमांक राजस्व अभियान /83 / 264 दिनांक 18–1–83 के द्वारा कालू पुत्र बालूराम के पक्ष में नामा0 दर्ज करने के आदेश दिये जिसकी पालना में नामा0 संख्या 238 दिनांक 18–1–03 भरा जाकर स्वीकृत किया गया। खतोनी सम्वत 2039 से 2042 में इसका अमल दरामद हुआ जो आज दिनांक तक कालू पुत्र बालूराम भाम्बी निवासी निमडी के नाम दर्ज है।आवंटन / नियमन की गयी भूमि की किस्म गैरमुमकिन बाला है जो राजकीय भूमि है जो आवंटन / नियमन योग्य नही है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है। अतः गैर मुमकिन बाला की आराजी में से जो अप्रार्थीगण के नाम आवंटन किया गया है, को निरस्त करवाने एवं पुनः राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन बाला दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत किया गया। अतः डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। परिणामस्वरुप उक्त रेफरेंस को स्वीकार करना उचित समझते है। 7. फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है । मौजा निमडी तहसील मकराना के खसरा नम्बर 111 / 1 रकबा 1.10 बीघा पर अप्रार्थी के नाम अवैध दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाकर पुनः विवादित आराजी को हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बाला दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के आधार पर अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है। 8. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 9. पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरुका)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ जो इस हुक्म तामील में जारी
	रेफरेंस / एलआर / 2391 / 2006 / नागौर **सरकार बनाम कालूराम(फोत) हजारीराम पुत्र पन्नाराम आदि कायम मुकाम**	